तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
16-5-21	अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक 7-5-21 को पेश हो।
17/12/21	आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ....भूलेरी........ में दिनांक ..18/12/21.......... को [illegible] होने वास्ते [illegible] होकर पेश हुई। पक्षकारान [illegible] कैम्प कोर्ट/[illegible] लोक अदालत ग्राम पंचायत ...भूलेरी.... में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक....18/12/21.....को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत...भूलेरी... पेश हों। उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर
18/12/21	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भूलेरी में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान के द्वारा मुताबिक सुरेणात रिपोर्ट के आपसी सहमति से निस्तारण करने का निवेदन किया गया। अतः आपसी सहमति से दावा डिक्री किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णित होकर रजिस्टर से कम की जावे। बाद अमल दाखिल दफ्तर हो। पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भूलेरी उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रैणी जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंहल आर0ए0एस0

वाद संख्या 1/08/2020

1. रेवड पुत्र सुखदेवाराम जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
2. बनवारी लाल पुत्र सुखदेवाराम जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
3. बोदन पुत्र सुखदेवाराम माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी

-------वादीगण

बनाम

1. काल्या पुत्र लख्या जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
2. छोटा पुत्र लख्या जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
3. बाबूलाल पुत्र जगनलाल जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
4. मोतीलाल पुत्र जगनलाल जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
5. लड्डो पत्नि जगनलाल जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
6. उगन्ती पुत्री जगनलाल जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
7. मौर्या पुत्री जगनलाल जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
8. धौली पुत्री जगनलाल जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
9. नत्थ्या पुत्र लोहडाराम जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
10. प्रभू पुत्र लख्याराम जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
11. मनबी पत्नि हाबूराम जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
12. रामू पुत्र सोन्याराम जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
13. धन्नो देवी पत्नि सोन्याराम जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
14. कमला पुत्री सोन्याराम जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
15. धप्पी पुत्री सोन्याराम जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
16. मनीष पुत्र शिवलाल जाति माली निवासी जगमालपुरा तहसील रैणी जिला अलवर
17. उपपंजीयक एंव सब रजिस्ट्रार रैणी तहसील रैणी जिला अलवर
18. तहसीलदार रैणी तहसील रैणी जिला अलवर
19. प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा रैणी
20. प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा माचाडी

----------प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी वो स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :-श्री धर्मेन्द्र सिंह जैसावत एडवोकेट

श्री शिवसहाय मीणा एडवोकेट

निर्णय दिनांकः---18/12/2021

आज यह दावा वास्ते निर्णय प्रशासन गॉवों के संग कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भूलेरी पर पेश हुआ । वादीगण द्वारा तकसीम आराजी का वाद इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा न0 125/0.34, 126/0.43, 130/0.33, 138/0.35, 139/0.27, 156/0.74, 172/0.50, 182/0.51, 186/0.36, 187/0.39, 195/0.41, 20/0.19, 22/0.33, 23/0.33, 43/0.46, 44/0.50, 61/0..03, 62/0.05, 63/0.12, 64/0.11, 65/0.08

ग्राम जगमालपुरा तहसील रैणी में स्थित है जिसमें प्रत्येक वादी का 1/9 व 1/9 हिस्सा
यह है कि उक्त आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है जिसका मौके पर
मी तौर पर बॅटवारा किया हुआ है और सभी खातेदार अपने अपने हिस्से की आराजी पर
ाबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। यह है कि अब आराजी के कब्जे काश्त को लेकर
क्षकारान में विवाद रहता है तथा अपने अपने हिस्से की आराजी का सही उपयोग व उपभोग
करने में व्यवधान रहता है अन्त में दावा वादी डिक्रि किया जाकर आराजी विवादित को
मुताबिक हिस्सा हाल रिकॉर्ड पक्षकारान में कुरेजात कायम कर बॅटवारा किया जाकर खाता
पृथक–पृथक करने का निवेदन किया ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया ।
प्रतिवादीगण असालतन व वकालतन उपस्थित न्यायालय आए तथा उनके द्वारा दिनांक
27/01/2021 को दावा वादी प्रारम्भिक किया जाने व कुरेजात रिपोर्ट तलब किए जाने पर
सहमति दी गई । हस्ब सहमति पक्षकारान दिनांक 27/01/2021 को दावा वादी प्रारम्भिक
डिक्रि किया गया तथा कुरेजात रिपोर्ट हेतू तहसीलदार रैणी को आदेश जारी किए गए ।

आज पत्रावली पक्षकारान की सहमति पर वास्ते निर्णय कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भूलेरी पर
तलब होकर पेश हुई। पत्रावली को अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रारम्भिक डिक्रि दिनांक
27/01/2021 की पालना में तहसीलदार रैणी द्वारा पत्र संख्या 2199 दिनांक 10/08/2021
को कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश किए है जो पत्रावली पर संलग्न है। उक्त कुरेजात रिपोर्ट
के अनुसार आराजी विवादित का बॅटवारा किए जाने हेतू व दावा डिक्रि किए जाने हेतू
पक्षकारान व उनके अधिवक्तागण द्वारा सहमति जाहिर की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2075 खाता
संख्या 22, 23, 24, वाकै ग्राम जगमालपुरा तहसील रैणी के अंकित इन्द्राज से यह तथ्य
वादीगण साबित है कि आराजी विवादित पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है । जैसा
कि पत्रावली पर तहसीलदार रैणी द्वारा अपने पत्र संख्या 2199 दिनांक 10/08/2021 के
द्वारा इस न्यायालय के पूर्व डिक्रि आदेश दिनांक 27/01/2021 की पालना में कुरेजात रिपोर्ट
पेश की है के अवलोकन से यह तथ्य भी साबिक होता है कि आराजी विवादित आराजी का
मुताबिक हिस्सा सही बॅटवारे के प्रस्ताव तहसीलदार रैणी द्वारा प्रस्तुत किए है। उक्त कुरेजात
रिपोर्ट के अनुसार दावा वादी डिक्रि करने हेतू पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा भी सहमति दी
गई है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार दावा वादीगण तकसीम आराजी का मुताबिक रिपोर्ट
तहसीलदार रैणी दिनांक 10/08/2021 के अनुसार पक्षकारान की सहमति पर डिक्रि योग्य
पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा 125/0.34, 126/0.
43, 130/0.33, 138/0.35, 139/0.27, 156/0.74, 172/0.50, 182/0.51, 186/0.36,
187/0.39, 195/0.41, 20/0.19, 22/0.33, 23/0.33, 43/0.46, 44/0.50, 61/0..03,
62/0.05, 63/0.12, 64/0.11, 65/0.08 वाकै ग्राम जगमालपुरा तहसील रैणी मुताबिक
रिपोर्ट कुरेजात तहसीलदार रैणी दिनांक 10/08/2021 हस्ब सहमति पक्षकारान
/अधिवक्तागण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान में आराजी विवादित का विभाजन निम्न
प्रकार किया जाता है।

[illegible]	खातेदार का नाम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा है0
	रेवडमल, बनवारीलाल, बोदनलाल जाति माली साकिन देह खातेदार रहन पी0एन0बी0 माचाडी	22	20	0.19
			43	0.46
			44/1	0.25
			139	0.27
			156/2	0.37
			182/1	0.38
			195	0.41
	खाता संख्या 23		112/2	0.26
2.	प्रभू, काल्या, छोटया पिता लख्या बिशनी पत्नि लख्या, नत्थ्या पुत्र लोहडया ,मनबी पत्नि हाबूराम, रामू पुत्र सोन्या, धन्नो पत्नि सोन्या, कमला, धप्पी पुत्रीयान सोन्या बाबू, मोतीलाल पुत्र जगनलाल, उगन्ती पुत्री जगनलाल, मौर्या, धौली पुत्रीयान जगनलाल मनीष पुत्र शिवलाल जाति माली साकिन देह	23	60	0.05
			112/1	0.52
	खाता संख्या	24	169	0.74
3.	प्रभू, काल्या, छोटया पिता लख्या, बिशनी पत्नि लख्या, नत्थ्या पुत्र लोहडा, मनबी पत्नि हाबूराम, रामू पुत्र सोन्या, धन्नो पत्नि सोन्या कमला,धप्पी पुत्रीयान सोन्याराम जाति माली साकिन देह	22	22	0.33
			23	0.33
			44/2	0.25
			61	0.03
			62	0.05
			63	0.12
			64	0.11
			65	0.08
			125	0.34
			126	0.43
			130	0.33
			138	0.35
			156/1	0.37
			186	0.36
			187	0.39
			किता 15	3.87

4. शामलती – खाता संख्या 22 के बॅटवारे अनुसार खातेदारान में खसरा न0 172/0.50, 182/2/0.13 कुल दो रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम जगमालपुरा तहसील रैणी सहखातेदारी में रहेगे।

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को पृथक पृथक अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है पक्षकारान को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो एक दूसरे के हिस्से की आराजी में उपयोग व उपभोग में किसी

प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करेगे । नक्शा कुरेजात निर्णय का हिस्सा रहेगा। इसी अनसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2021 को कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भूलेरी पर सुनाया गया ।

18.12.21

अनिल कुमार सिंहल
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी रैणी

नोट:- रेवड एवं रेवडमल के स्थान पर रेवडराम पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला- अलवर